UPGK010062662026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (रेप एण्ड पाक्सो) कोर्ट सं०- 2, गोरखपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-2834/2026

अश्वनी यादव, उम्र लगभग 37 वर्ष पुत्र बसन्त यादव निवासी खानिमपुर थाना-सहजनवां जनपद-गोरखपुर।

--------आवेदक/ अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश सरकार --------विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या- 510/ 2016
अन्तर्गत धारा- 323,406,506 भा०दं०सं०
थाना- सहजनवां, जनपद- गोरखपुर।

<u>दिनांक-01-08-2026</u>

1. आवेदक/अभियुक्त अश्वनी यादव द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-510/ 2016 धारा- 323,406,506 भा०दं०सं० थाना- सहजनवां जनपद- गोरखपुर के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं द्वारा इस आशय का शपथपत्र दाखिल किया गया है कि यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में न तो दाखिल है और न ही विचाराधीन ही है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिनी की लडकी कल्पना उर्फ मधु उसके गांव के अश्वनी यादव पुत्र बसन्त यादव के वहकावे में आकर हमारे घर के अन्दर रखा मु0 70000, रू0 जो कि उसके खेत विक्री से प्राप्त हुआ था उक्त रकम को अश्वनी यादव को दे दिया बाद मे जात होने पर उसकी लडकी ने सारी बात उसे बताई तब वह उक्त रूपये की मांग अपने लड़की के माध्यम से किया तब उक्त अश्वनी यादव हिला हवाली करने लगा तब उसकी लड़की ने उससे जल्द से जल्द हमारा रूपया वापस करने की बात कही इसके बावजूद भी अश्वनी द्वारा कोई ध्यान नही देने पर अश्वनी के पिता से कहा गया, परन्तु उन्होंने भी उक्त सम्बन्ध में कुछ कहने या करने से इन्कार कर दिये कुछ दिन बाद उसकी लडकी पुनः अश्वनी से रूपया मांगा, जिससे अश्वनी उसकी लड़की से नाराज रहने लगा तथा दिनांक 21.10.2016 को उसकी लड़की पढ़ने के लिये गंगोत्री देवी महिला महा विद्यालय मुन्सा प्रेमचन्द्र पार्क रोड गोरखपुर के लिये निकली और तभी से गायब है काफी तलाश किय गया, परन्तु उसका पता नही चल पा रहा है। उस दिन समय शाम को लगभग 5.00 बजे को शाम को मो0 नं0 8858475687 से फोन आया हैलो मम्मी इसके बाद फोन कट गया तब काल बैक करने पर मोबाईल बन्द मिल रहा है तथा लड़की को पहले का नं0 7510085487 है यह भी बन्द मिल रहा है ऐसी स्थिति मे काल डिटेल जांच कर उसका पता किया जाना आवश्यक है। उसको आशंका है कि उसकी लडकी के साथ उक्त रूपये की मांग को लेकर उसके साथ कोई अनहोनी घटना हो गयी है तथा उसकी हत्या कर दिया गया है। वह काफी खोजबीन तथा प्रयास करके थक हारकर श्रीमान जी के समक्ष प्रार्थना पत्र दे रही है। तद्नुसार मुकदमा पंजीकृत किया गया।

3. जमानत प्रार्थना पत्र में आवेदक/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक/ अभियुक्त बेकसूर है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। कथित घटना तथ्यों के बिल्कूल विपरीत अंकित कराई गई है। कथित घटना से हम प्रार्थी का दूर-दूर तक कोई वास्ता सरोकार नहीं है। कथित घटना दिनांक 21-10-2016 की कही जाती है जबकि इसकी रिपोर्ट 10-11-2016 को की गयी है इस बिलम्ब का कोई स्पष्टीकरण वादी मुकदमा द्वारा नहीं दिया गया है। अभियोजन के अनुसार अपनी लड़की के द्वारा मुझे 70,000/- रूपया देने की बात कही गई है जिसका कोई प्रमाण नहीं है। अभियोजन के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी अंकित कराया गया कि उसने लड़की के साथ कोई अनहोनी घटना

हो गयी है तथा उसकी हत्या कर दी गयी है विवेचना के दौरान ये सब बातें गलत पायी गयी और धारा 364 आई०पी०सी० को बिलोपित कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा कदापि न तो कोई पैसा लिया गया है और न ही किसी प्रकार की धमकी दी गयी है। वास्तविकता यह है कि वादिनी मुकदमा मेरे गाँव की है ये व इनकी लड़की कल्पना सिंह काफी चालाक एवं धोखेबाज किस्म की महिला है इनके विरूद्ध आपराधिक मामले भी दर्ज है। इस प्रकरण से पूर्व भी वादिनी मुकदमा सुनीता देवी ने दिनांक 11-02-2016 को अपने लड़की कल्पना को भगा ले जाने के बावत मेरे विरूद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया। विवेचनापरान्त मामला झूठा पाये जाने का अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी। वादिनी मुकदमा ने हम प्रार्थी को क्षति कारित करने के उद्देश्य से पुनः फर्जी कहानी बनाकर षड्यन्त्र के तहत मेरे विरूद्ध फर्जी एवं झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया जिसमें लेशमात्र भी सत्यता नही थी। कथित प्रकरण में ऐसा कोई स्वतन्त्र साक्षी भी नहीं है जिससे अभियोजन कथन विश्वसनीय माना जा सके। अब तक की विवेचना से ऐसा कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि जिसमें मेरे विरूद्ध अपराध सिद्ध होता हो।कथित प्रकरण की धारा मजिस्ट्रीय न्यायालय द्वारा विचाराधीन है जिसमें अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्राविधान है। कथित प्रकरण में आरोप पत्र प्राप्त होने की प्रार्थी को कोई सूचना नहीं थी। पुलिस थाना-सहजनवाँ अब मेरे घर आकर कई बार दबिश भी दे चुकी है तथा अपमानित करने के उद्देश्य से गिरफ्तार करना चाहती है। प्रार्थी इस बात का बचन देता है कि विवेचना में सहयोग करेगा एवं पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब चाहे उपलब्ध रहेगा। प्रार्थी इस बात का बचन देता है कि प्रकरण से संबंधित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरणा अथवा धमकी नही देगा। प्रार्थी अब से पूर्व किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं हुआ है। प्रार्थी न्यायालय के बिना अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा। प्रार्थी की यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र है इसके अतिरिक्त दूसरा कोई जमानत प्रार्थना-पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद या अन्य किसी न्यायालय में न तो दाखिल है न ही लम्बित है न ही निरस्त है। प्रार्थी कदापि किसी अपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं रहा है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तद्नुसार उक्त कथनों के आधार अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपने तर्क में कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा वादिनी की लड़की से पैसा लिया तथा मांगने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गयी। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी।

5. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की बहस सुनी तथा सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन किया।

6. सम्बन्धित पत्रावली के अवलोकन से यह विदित हुआ कि उक्त मामले के वादिनी मुकदमा सुनीता सिंह के द्वारा घटना दिनांक 21.10.2016 समय 17 बजे की बताते हुए दिनांक–10.11.2016 को समय 10.15 बजे मु०अ०सं०–510/2016 अन्तर्गत धारा–364, 406, 323, 506 भा०द०सं० थाना–सहजनवां पर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित हुआ कि दौराने विवेचना विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र में धारा–364 भा0 दं0 सं0 का विलोपन करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–323, 506, 406 भा0 दं0 सं0 में न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध सम्मन वारण्ट एवं बिना जमानती वारण्ट निर्गत किये गये हैं। प्रश्नगत मामले में साक्ष्य संकलन की कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं बताया जाता है। अभियुक्त के फरार होने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। प्रश्नगत मामले में तीन वर्ष तक के कारावास के दण्ड का प्रावधान है। उपरोक्त कथनो तथा मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण-दोष पर जाये बगैर आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अश्वनी यादव का मुकदमा अपराध संख्या–510/ 2016 धारा–323,406,506 भा०दं०सं० थाना– सहजनवां जनपद– गोरखपुर में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

गिरफ्तार किये जाने की स्थिति में उक्त मामले के विवचेक या थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा एवं न्यायालय में आत्मसमर्पण किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से 20,000/–(बीस हजार रुपये) की दो जमानतें एवं इसी धनराशि का व्यक्तिगत बंध–पत्र प्रस्तुत करने पर दौराने विचारण उसे निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1– यह कि प्रार्थी/अभियुक्त किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछताछ किये जाने हेतु स्वयं उपलब्ध होगा।

2– यह कि प्रार्थी/अभियुक्त, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सकेगा।

3– यह कि प्रार्थी/अभियुक्त, न्यायालय के पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

4– यह है कि प्रार्थी/अभियुक्त आरोपित अपराध जैसा कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

5– यह कि प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरान्त साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

6– यह कि दौरान विचारण प्रार्थी/अभियुक्त नियमित रूप से सम्बन्धित न्यायालय में व्यक्तिगत अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

7– अभियेाजन साक्षी के उपस्थित आने पर उसकी ओर से विचारण को विलंबित करने के आशय से अनावश्यक आधार पर स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

शर्तो का उल्लंघन करने पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

(शमीम अहमद अंसारी)
अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश
(रेप एण्ड पाक्सो) कोर्ट सं०-2 गोरखपुर।
J.O CODE 1617

Digitally signed by SHAMIM AHMAD ANSARI
Date: 2026.08.01 04:50:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court